न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/396

1. शैतान सिंह पुत्र भागीरथ सिंह, जाति दरौगा, निवासी ग्राम कोलवा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।
2. बालूराम पुत्र श्री भींवाराम,
3. भग्गाराम उर्फ भगवान सहाय पुत्र सुरजाराम

समस्त जाति यादव निवासीगण ढाणी नवोडा, तन ग्राम कोलवा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 29.12.2017 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम रास्ते सम्बन्धी प्रकरण में पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री बनवारी लाल, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री भगवान सहाय शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 16.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 29.12.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 25.03.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट ज़यपुर दिनांक 10.08.2016 व जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 4328–53/राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016 की पालना में दिनांक 04.12.2017 को पटवार हल्का सिमारला जागीर की रिपोर्ट अनुसार आवागमन व सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने बाबत् राजस्व ग्राम कोलवा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 444 कुल रकबा 4.26 है0 में से 0.1150 है0 व खसरा नम्बर 448 कुल रकबा 0.47 है0 में से 0.02 है0 में प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू है। वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ता ढाणी नवोडीवाली से मूण्डरू तक उपयोग में आ रहा है। जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। इस रास्ते का सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में स्थाई अंकन करने हेतु अभिशंषा मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू– अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04.12.2017 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम कोलवा

पटवार मण्डल सिमारला जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के आराजीयात खसरा नम्बर 444 कुल रकबा 4.26 है0 में से 0.1150 है0 व खसरा नम्बर 448 कुल रकबा 0.47 है0 में से 0.02 है0 प्रस्तावित रास्ते की भूमि व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने व संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने एवं गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने तथा नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जाकर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रखने व तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रखने तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश यदि हो तो स्थगन आदेश समाप्ति उपरान्त अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 29.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट शैतान सिंह पुत्र भागीरथ सिंह द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 29.12.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 विधि के प्रावधानों के खिलाफ व मौके पर कोई सार्वजनिक रास्ता हुये बिना ही पारित आदेश विधि विंरूद्ध व मौका स्थिति के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में न तो अपीलार्थी की सहमति ली और ना ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं तथा यहा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अवलोकन ही नही किया जिस कारण अपीलाधीन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उक्त प्रकरण में ना तो अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया और ना ही कोई नोटिस निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को भिजवाये गये है यह सर्व माननीय सिद्धांत व प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है की किसी भी व्यक्ति की भूमि के सम्बन्ध मे कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक हैं मगर इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को ना तो कोई नोटिस जारी किये गये ना ही सुनवाई का अवसर दिया अगर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलार्थी अपनी बात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखते तथा इस प्रकार एकपक्षीय आदेश मनमाना व विधिविरूद्ध हैं जवकि वास्तव में मौके पर खसरा नम्बर 444 मे कोई रास्ता पूर्व से नही है बल्कि अपीलार्थी व अन्य खातेदारान की खातेदारी की भूमि है जिसमें अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर तहसीलदार महोदय द्वारा अपनी रिपोर्ट में रास्ता बताया गया हैं उस स्थान पर अपीलार्थी के पुख्ता मकान व लेट बाथरूम बने हुये है तथा उक्त भूमि के तार बाउन्ड्री हो रखी है तथा अपीलार्थी उक्त भूमि पर सहखातेदारों के साथ मौके पर काबिजकाश्त हो काश्त कर उपयोग उपभोग कर फायदा उठा रहे है यहा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय से जो आदेश तहसीलदार व ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त किया है कुछ राजनैतिक फायदे के लिये प्राप्त किया है जबकि मौके पर कोई रास्ता पूर्व में नही था ना ही आज मौके पर मौजूद हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया है किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक तथा अर्द्धन्यायिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाता हैं। किंतु मौजूद प्रकरण में अपीलार्थी खसरा नम्बर 444 रकबा 4.26 हैक्टेयर सम्पूर्ण का सहखातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम से जमाबंदी मे अंकित है तथा उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होकर अपीलार्थी उसको उपयोग व उपभोग अपने पूर्वजों के जमाने से करते आ रहे है तथा विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 444 रकबा 4.26 हैक्टेयर पर अपीलार्थी द्वारा पुख्ता मकानात बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर पालन पोषण कर रहे हैं तथा पशुओं के लिये बाडा बना रखा है तथा शेष भूमि पर अपीलार्थी की फसल खडी हैं तथा जिस जगह अपीलाधीन आदेश की आड में जो रास्ता नक्शे में तरमीम किया गया है उस जगह कभी भी कोई रास्ता नही रहा हैं किंतु उस जगह पर अपीलार्थी की फसल खडी है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे भयंकर कानूनी भूल की है जिस कारण अपीलाधीन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि पटवारी महोदय द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वह बिना किसी विधिक आधार पर तैयार कि गई थी वह राजनैतिक पहुंच वाले व ग्राम के कुछ रसूखदार व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की जरूरत से उनके प्रभाव में आकर आनन फानन में दिनांक 09.11.2017 को जो रिपोर्ट बनाई गई जिस पर ना तो किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर है ना ही अपीलार्थी को रिपोर्ट तैयार करने से पहले सूचना दी गई अगर अपीलार्थी को जानकारी होती की पटवारी द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है तो वह उपस्थित होकर वास्तविक स्थिति से अवगत कराते मगर पटवारी दिगरान से मिलकर मौके के खिलाफ जाकर रिपोर्ट तैयार की है जो किसी भी दृष्टि से स्वतंत्र रिपोर्ट की तारीफ में नहीं आती है इसलिये तहसीलदार की रिपोर्ट विधि तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है जो तहसील कार्यालय में पूर्व नियोजित योजना के अनुसार तैयार कि गई है तथा यहा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि रिपोर्ट में जो रास्ता दर्शाया गया है उसी जगह पर कभी भी कोई रास्ता चालू स्थिति में नही रहा है उसके बावजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को सही मानकर जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 पारित किया गया है वह माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं।

पटवारी रिपोर्ट दिनांक 29.11.2017 पर ना तो कोई गवाह के हस्ताक्षर होना बताया है उक्त रिपोर्ट पटवारी ने कूटरचित कर फर्जी तैयार किये है तथा उपरोक्त तथ्यों से भी यह स्पष्ट है कि मौके पर पटवारी रिपोर्ट दिनांक 29.11.2017 निष्पक्ष नही कही जा सकती है बल्कि उक्त रिपोर्ट फर्जी तैयार कर रास्ता निकलवाने के आदेश दिनांक 29.12.2017 को पारित किये है जो विधि विरूद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 को अंकन करते हुये उसके अनुसार निर्णय पारित किया गया हैं जबकि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में यह कही भी अंकन नहीं है कि उक्त परिपत्र के आधार पर बिना प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके की वास्तविकता रिपोर्ट के खिलाफ जाकर अगर मौके पर कोई रास्ता नही है तो नया रास्ता कायम किया जाये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र के प्रावधानों के खिलाफ जाकर बिना हितबद्ध पक्षकारों को सुने तथा मौंके की वास्तविक रिपोर्ट के बिना आदेश दिनांक 29.12.2017 को पारित किया है उक्त परिपत्र के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया कि खसरा नम्बर 444 रकबा 4.26 हैक्टेयर में जहाँ वर्तमान में रास्ता दर्शाया गया है वहाँ कभी भी कोई रास्ता चालू नही रहा है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को पूर्वतयाः नजर अंदाज करते

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हुये खसरा नम्बर 444 रकबा 4.26 हैक्टेयर के बीच में से रास्ता निकालने के जो आदेश पारित किये है जो पूर्णतयाः औचित्यहीन है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तथा हितबद्ध पक्षकारों के विधिक अधिकारों के खिलाफ है जिसका केवल मात्र उद्देश्य अपीलार्थी की कृषि भूमि में से राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपीलार्थी की खातेदारी को समाप्त करना रहा है जिस कारण अपीलाधीन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया है कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नही थी जिससे लैस मात्र से भी यह प्रमाणित हो कि मौके पर पूर्व में कोई चालू रास्ता रहा हो या वर्तमान में कोई रास्ता खसरा नम्बर 444 रकबा 4.26 हैक्टेयर से होता हुआ आवगमन के रूप में काम में आ रहा हो इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से नया रास्ता कायम कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये है जो विधि विरूद्ध होने से माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अवलोकन ही नही किया जिसमें दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर किसी तरह का कोई रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है तथा उसमें यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अन्य खातेदार को किसी खेत में से होकर नया रास्ता कायम कटवाना हो तो उसके द्वारा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर सम्बन्धित उपखंड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भंयकर कानूनी भूल की है जो माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में दिनांक 10.08.2016 के बाद राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में संशोधित अधिनियम पारित कर नई धारा 251 (क) जोडी गई जिसके बाद रास्ते के सम्बन्ध मे नया कानून लाने के बाद अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 के आधार पर जो आदेश दिनांक 29.12.2017 पारित किया है कानून के खिलाफ तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के खिलाफ होने के कारण अपीलार्थी के अधिकारों के प्रति अवैध प्रभावहीन व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि उक्त अधिनियम दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 (ए) के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जायेगी तो उसकी प्रति सम्बन्धित खातेदारों को दी जायेगी तथा हितबद्ध काश्तकार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता हैं लेकिन मौजूदा प्रकरण में हल्का पटवारी, तहसीलदार श्रीमाधोपुर, उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा उपरोक्त विधि प्रावधानों को नजर अंदाज कर अपीलार्थी को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भयंकर कानूनी भूल की है जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2017 की जानकारी अपीलार्थी को नही थी। दिनांक 04.03.2025 को पटवारी व तहसीलदार मौके पर आकर रास्ता खुलवाने की कोशिश की व उक्त आदेश की जानकारी दी आदेश की जानकारी होने पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु दिनांक 05.03.2025 को आवेदन किया गया जो आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 07.03.2025 को प्राप्त हुई प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर आदेश की जानकारी से अपील अंदर मियाद पेश है। अपील के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2017 को निरस्त फरमाने की कृपा करें तथा आदेश दिनांक 29.12.2017 की पालना में तहसीलदार द्वारा मौके पर कोई रास्ता निकालने की कार्यवाही नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नही करने के आदेश फरमावे ।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 04.03.2025 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 व जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 4328–53/राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016 की पालना में दिनांक 04.12.2017 को पटवार हल्का सिमारला जागीर की रिपोर्ट अनुसार आवागमन व सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने बाबत् राजस्व ग्राम कोलवा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 444 कुल रकबा 4.26 है0 में से 0.1150 है0 व खसरा नम्बर 448 कुल रकबा 0.47 है0 में से 0.02 है0 में प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू है। वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ता ढाणी नवोडीवाली से मूण्डरू तक उपयोग में आ रहा है। जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। इस रास्ते का सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में स्थाई अंकन करने हेतु अभिशंषा मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं राजस्थान भू– अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक

04.12.2017 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम कोलवा पटवार मण्डल सिमारला जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के आराजीयात खसरा नम्बर 444 कुल रकबा 4.26 है0 में से 0.1150 है0 व खसरा नम्बर 448 कुल रकबा 0.47 है0 में से 0.02 है0 प्रस्तावित रास्ते की भूमि व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने व संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने एवं गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने तथा नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जाकर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रखने व तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रखने तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश यदि हो तो स्थगन आदेश समाप्ति उपरान्त अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2017 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता दो खसरा नम्बरान से होकर गुजर रहा है। ग्राम पंचायत सिमारला जागीर ने भी प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 24.11.2017 से उक्त प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की सहमति एवं अनापत्ति प्रदान की गयी है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम कोलवा में एक सार्वजनिक रास्ता ढाणी नवोडीवाली से मुण्डरू तक वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2017 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर